

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

Serial No. 10857

कम संख्या... 376 ... AE 570916

AE 570916

Dept No. 71600

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 01/08/2019 by Sunanda Devi

A Stamp Duty of Rs. 527340/- and other Fees of Rs. 20500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. **10600** in Book No. **1**, Volume No. **214** on pages from **78** to **593** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **33 / Year 2019**

Date: 01/08/2019

Token No: 11388 /2019

Signature with Date

Registering Officer, Daejeon

Scanned by

विकास कार्य एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 01-08-19 को (1) श्रीमती

सुनन्दा देवी पुत्री बंशीधर गिरी, साकिन- मुसाफिरगंज, थाना वो जिला-

बक्सर, (2) श्री चन्द्रशेखर गिरी पिता यमुना गिरी, साकिन- आनन्दपुरी

थाना— श्रीकृष्णापुरी, जिला— पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से

बस्तावेज जारी

जस्त्याभिर

रॉक स्त्री/ सद्यः पंथी/ एक दिन २०/ पलान कि०

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amazetnath

DIRECTOR

Sub District Registry Office, Danapur

148 168

Token Number 11388 Reg. Year 2019 Serial Number 10857 Deed Number 10600

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little	
Claimant	Aranya Engicon Pvt. Ltd. (Dir. Amarjeet Nath)							
Sig.	<u>Amarjeet Nath</u> 02/08/2019							
Claimant	Kishor Kumar (Dir.)							
Sig.	<u>Kishor Kumar</u> 11/8/19							
Claimant	Mridula Sinha (Dir.)							
Sig.	<u>Mridula Sinha</u> 11/8/19							
Executant	Chandrashekhar Giri							
Sig.	<u>Chandra Shekhar Giri</u> 01/08/2019							
Presented By	Sunanda Devi							
Sig.	<u>Sunanda Devi</u> 11/8/19							
Executant	Sunanda Devi		x Photo	x Thumb	x Index	x Middle	x Ring	x Little
Sig.	<u>Sunanda Devi</u> 11/8/19							
Identified By	Rajesh Singh							
Sig.	<u>Rajesh</u> 11/8/19							



Sunanda Devi

[Handwritten signature]

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amarjeet Nath

DIRECTOR

8/1/2019

सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितवद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं Mob- 7903122319

मेसर्स अरण्या इंजीनियरिंग प्रा० लि० जो भारतीय कम्पनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या- U45309BR2016PTC031450 है जिसका प्रधान कार्यालय- महावीर मार्केट, बिरजी भवन, पृथ्वीपुर विरैयाटाड़ पटना-1, बिहार द्वारा निर्देशक (1) श्री अमरजीत नाथ पिता श्री प्रदीप कुमार, निवासी ग्राम वो पोस्ट- गुरुआ, जिला- गया, बिहार एवं (2) श्री किशोर कुमार पिता श्री बंगाली लाल मंडल निवासी- शिवचक मलमेहंदीगंज, झाउगंज, पटना- 800008, जिला- पटना, बिहार, (3) श्रीमती मृदुला सिन्हा पिता श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, निवासी- अशोक नगर रोड नं०-11 कंकड़बाग, पटना, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना, भारतीय नागरिक। PAN. AA0CA3652K के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ। Mob- 9135005300

यह कि जमीन मालिक मौजा- सिकन्दरपुर, महल्ला- मिथिला कॉलोनी, परगना- फुलवारी, थाना- दानापुर, जिला- पटना, थाना नं०- 17, तौजी नं०- 5855, खाता नं०- 253, सर्वे प्लॉट नं०- 692 वो 695 में एराजी 13612 वर्गफीट यानि 31.2488 डी० भूमि जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो० 2,03,17,000/- रुपया मात्र है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची-1 में वर्णित सम्पत्ति को जमीन मालिक (1) श्रीमती सुनन्दा देवी ने दिनांक 26-10-2012 ई० को नविस्ते सारण सहकारी गृह निर्माण समिति लि० जिसके निबंधित कार्यालय- आनन्दपुरी पश्चिम बोरिंग



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amrjith

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mridula Sinha
1/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amrjith
1-8-19

Director

Chandras Shekhar Singh
1/8/19
Sunanda Devi
1/8/19

कैनाल रोड, पटना-1, जिसके सचिव श्रीमती कुशुम देवी पति श्री रमेश कुमार तिवारी साकिन- 532, नेहरू नगर, पोस्ट वो थाना- पाटलीपुत्रा, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं०- 536, पेज नं०- 245 से 254, सी० डी० 84, टोकन नं०- 34397, सिरियल नं०- 33598, वसीका नं०- 27874 निबंधन कार्यालय दानापुर है वो जमीन मालिक श्री चन्द्रशेखर गिरी ने दिनांक 15-04-1999 ई० को नविस्ते सारण सहकारी गृह निर्माण समिति लि० जिसके निबंधित कार्यालय- आनन्दपुरी पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1, जिसके सचिव श्री आर० के० तिवारी पिता स्व० यमुना तिवारी साकिन- आनन्दपुरी, थाना- श्रीकृष्णापुरी, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका बुक नं०-1, सिरियल नं०- 1385, वसीका नं०- 1296 निबंधन कार्यालय दानापुर है वो जमीन मालिक चन्द्रशेखर गिरी के पिता यमुना गिरी ने दिनांक 13-04-1999 ई० को नविस्ते सारण सहकारी गृह निर्माण समिति लि० जिसके निबंधित कार्यालय- आनन्दपुरी पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1, जिसके सचिव श्रीमती कुशुम देवी पति श्री रमेश कुमार तिवारी साकिन- 532, नेहरू नगर, पोस्ट वो थाना- पाटलीपुत्रा, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका सिरियल नं०- 1386, वसीका नं०- 1297 निबंधन कार्यालय दानापुर है । इस प्रकार जमीन मालिक बैय खरीदगी के रोज से अपने-अपने खरीदगी के अनुसार अपने अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर जमीन मालिक अनुसूची-1 में वर्णित जायदाद पर स्वामी के रूप में शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए चले आ रहे हैं । इस तरह लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं ।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा ।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amrakesh Nath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Modula Sinha

11/8/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amrakesh Nath

Director

1-8-19 Director 1/3/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Chandra Shekhar Sin

Singh

Chandra Shekhar Sin

01/08/2019

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर दानापुर नगर परिषद/सम्बंधित प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलपर्स ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्त किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारतामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।
3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।
4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।
5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि दानापुर नगर परिषद/सम्बंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत हिस्सा इस विलेख की अनुसूची- III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.
a/ Anayakanth
DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Anayakanth
1-8-67
Director

Chandra Subbaraj
01082019
Sumanala Devi
11/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Anayakanth
11/8/19
Director

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाऊ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बंधनों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवलपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बंधनों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची-1 में वर्णित है।

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वास्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् दानापुर नगर परिषद को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवलपर उक्त वास्तुकार (Architect) द्वारा निर्मित प्लान दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवलपर को उनके कर्मचारियों, अधिकारियों, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास- पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Anayesthath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mridula Sinha
11/8/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Anayesthath
11/8/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Anayesthath
22/08/2019 Director

Chandna Subbar Lim
01/08/2019 Samrati Devi
11/8/19

की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा 3 वर्ष की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छह महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से गिनी जाएगी।

13. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रूप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayekanth

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mridula Sinha
11/8/19
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Gaurav Kumar
11/8/19
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amayekanth
1-8-19
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Chandana Subbar
01/08/19
11/8/19

विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति प्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

15. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/प्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य जमदमउमदजे के द्वारा जो दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमे में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर जमीन सही होने पर अपने खर्च पर करेंगे।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.
Ameyesh Nath
 DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Pradula Sinha
 Director
 11/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Ameyesh Nath
 Director
 11/8/19

Chander Shekhar Sin
Chander Shekhar Sin
 Director
 11/8/19

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं lease-लेनेवालों से विलेख की शर्तों के अनुरूप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रूप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना ।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रूप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

G. इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenement आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं ।

H. डेवलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें ।

I. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे नगर परिषद दानापुर निजामत/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, सपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को दानापुर नगर परिषद/सक्षम प्राधिकार अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

16. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amrjyestnath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Midula Sinha

Director 11/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Director

1/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amrjyestnath

Director

1-8-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Singhania

11/8/19

Chanderan Dubhau Sin

01/08/2019

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधिवाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवमार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, मट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

17. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम 100 तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayachanth

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mudula Sinha
118/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amayachanth
118/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amayachanth
1-8-19 Director

Bunaula Devi
118/19

Chandru Subramanian
01/08/2019

190

जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा।

18. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्प्लेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

19. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन विलिङ्ग का नाम "यमुना रेसीडेन्सी" होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, दानापुर नगर परिषद/सक्षम प्राधिकार एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

20. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित्त इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

21. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

22. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीनमालिक



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayesth

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Midula Singh
118/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amayesth
1-8/19 Director

Chandra Gulshan Singh
01/08/2019
118/19

को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

23. डेवेलपर दानापुर नगर परिषद/पटना नगर निगम के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करावेंगे।

24. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitary कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे दानापुर नगर परिषद की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

25. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

26. प्रस्तावित इमारत दानापुर नगर परिषद द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लॉट से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

यह कि जमीन मालिक को विकासक से मो0 60,00,000/- रुपया (साठ लाख रुपया) नन अनरिफण्डेबल देने की बातचीत तय हुई है जिसमें पचास प्रतिशत राशि यानि मो0 30,00,000/- रुपया विकासक द्वारा जमीन मालिक को निम्न प्रकार से भुगतान कर दिया गया है जिसमे मो0 5,00,000/- रुपया चेक नं0- 770638 वो मो0 5,00,000/- चेक नं0- 770640 वो मो0 15,00,000/- रुपया चेक नं0- 770641 वो मो0



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Aniraj Nath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Midula Sinha
11/8/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
11/8/19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
11/8/2019

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
11/8/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
01/08/2019

10,00,000/- रुपया चेक नं०- 770639 पंजाब नेशनल बैंक और आज निबंधित विकास एकरारनामा जमीन मालिक विकासक के पक्ष कर रहे हैं और निबंधित विकास एकरारनामा करने के छः माह के अन्दर शेष रकम का भुगतान चेक नं०- 770643, 770644, 770645, 770646, 770647 वो 770648 पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा विकासक द्वारा जमीन मालिक को भुगतान किया जायेगा

अनुसूची-1

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा- सिकन्दरपुर, महल्ला- मिथिला कॉलोनी, परगना- फुलवारी, थाना- दानापुर, जिला- पटना, थाना नं०- 17, तौजी नं०- 5855, खाता नं०- 253, सर्वे प्लॉट नं०- 692 वो 695 में एराजी 13612 वर्गफीट यानि 31.2488 डीसमल है यह लेख्य सम्पत्ति अवर निबंधन तथा जिला निबंधन कार्यालय- पटना, क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। जमान्दी नं०- 5196/1 वो 4425/1 वो 4426/1

चौहद्दी

उत्तर : बस्ती सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
दक्षिण : छोटक सिंह सर्वे प्लॉट नं०- 691
पूरब : बस्ती सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
पश्चिम: निर्मला देवी।

अनुसूची- II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.आर.डी.ए./दानापुर नगर परिषद द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा !
civil कार्य-पी.आर.डी.ए./पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, छड़ सोन बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें तथा भीतरी छत में का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें बिड़ला पुट्टी होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का चौखट, कपूरशाल तथा दरवाजे का पल्ला उच्च कोटि के प्लाई बोर्ड का होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इन्ग्रेमेल पेंट होगा। पेंट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा।

खिड़कियाँ :- (अलुमिनियम सलाइड रिफ्लेक्टिव ग्लास) के फ्रेम में पूर्णतः

glazed खिड़कियाँ।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amarjeetnath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mridula Sinha
11/8/19
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amarjeetnath
11/8/19
Director

Chandru Subbarajin
01/08/2019
11/8/19

फर्श :- विटरीफाइड टाइल्स ब्रान्डेड उच्च क्वालिटी का होगा ।
 शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद हथ्रमक टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- हरा संगमरमर का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी. वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट।

लिफ्ट :- छह व्यक्तियों का भार वहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। जमीन मालिक गुणवत्ता, मात्रा कम्पनी का निर्णय करेंगे।

पूर्वोक्त पिदपीपदह केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

अनुसूची III

जमीन मालिक के प्लैट की खास विशेषताएं :-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौबीसो घंटे अपने द्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. अतिरिक्त खर्च पर सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत जेनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)
5. प्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें तौबे का तार होगा।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amrjestrath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
 Midula Singh
 118/B Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
 Amrjestrath
 118/19 Director

Chandra Shukla Singh
 01/08/2019 Sunanda Devi
 118/19

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में
सौच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम
आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण-

1. राजेश श्रेष्ठ,
C/O. Lt. Arayanand Singh
At - Mardan Singh
P. Parayari
R. Kinga.

2. Mr. Harpal (Mishra)

बलदेव कुमार
पिता - श्री रामेश्वर-पूजा
श्री लोदीपुर-मोदमा
श्री शाहपुर पटना
जिला - पटना 1-8-2019

यह विलेख लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के निदेश एवं सहमति पर
लिपिबद्ध किया गया है

Lunanao Devi

11/8/19

Chandra Shubhar Singh

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर 01/08/2019

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amarjyoti Nath

Director

11/8/19

Michela Linha

Director

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

चंडी 2. श्री प्रियंका शर्मा

हवी पामर

Chandra Shubhar Singh

01/08/19

Drafted by

Amarjyoti Nath

20/12/85/10/12



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amarjyoti Nath

DIRECTOR

13 VP

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 527340/-	Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Appl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt. paid through Bank Challan	Rs. 546840/-

Date: 01/08/2019

Registering Officer
Danapur

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Thursday, 01st August 2019 by Sunanda Devi D/O
Bahshidhar Giri by profession Others. Status - Executant

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 01/08/2019

Registering Officer
Danapur

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rajesh Singh' age '46' Sex 'M', 'S/O Dayahand Singh', resident of 'Madan Bighana ,arwal'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 01/08/2019

Registering Officer
Danapur

Registered at Registration Office Denpasar in Book 1 Volume No. 214 on pages on 578-593, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-33 year 2019. The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 01/08/2019

Token No. : 11388

Year : 2019

S.No.

20857

SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 10600

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amaxpectath

8/1/20

133/88

1388/15



Q18188

Valid Upto	15/08/2019	Date	31/07/2019 02:01:22 PM
GRN	BHR201907443160M	From	
Department	Registration, Excise & Prohibition Department	To	
Office Name	Danapur		
Financial Year	2018-2019		
Treasury	Danapur		

ACCOUNT HEAD DETAILS		PAY AMOUNT
R0090021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS		520340.00
R0030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS		20000.00
R0020008000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING		0.00
Total Amount:	Rupees Five Lac Forty Six Thousand Three Hundred Forty, Only	540340.00

PAYER DETAILS	
Tax ID (if any)	
Unique Id	
Name	ARANYA ENGICON PVT.LTD
Address	MAHAVIR MARKET CHIRAIYATANO PATNA-1

PAYMENT DETAIL		FOR USE IN RECEIVING BANK	
BANK Name	SBI	CIN	null
Branch		REF No	GPT7902567
		Date & Time	31/07/2019 02:01:23 PM
		Scrub No & Date	



SBI State Bank of India
भारतीय स्टेट बैंक

Date दिनांक 1/8/2019

A/c No. 309384161981

For the Credit of Danapur Branch

Amount (in words) Rupees Five Hundred

(Signature of Cashier)

Cashier (Signature)

Cash/Passing Officer (Signature)

380770130861057

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.
Amrasedrath
DIRECTOR

132

भारत सरकार
राजेश सिंह
RAJESH SINGH
जन्म तिथि/ DOB: 09/01/1972
पुरुष / MALE
8118 6459 8535
आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विधिमान्य पहचान प्राधिकरण
आधार
पता: Address:
- , मर्दान सिन्हा, पटवारी,
आरणा,
बिहार - 804426
8118 6459 8535
Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

रत. दयानन्द सिंह
रत.
1.8.19

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.
Amayachath
DIRECTOR





बिहार BIHAR

Serial No. 10044

दिनांक 18/07/2019 नं. 318 मुल 1000 मोट सव/पुल/ AC 323139

संता का नाम व पता

आरण्या एंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 48, फेज-1, इंडिया नॉन जूडिशियल, मुंबई-400 001

Government of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Enrolment

This document was presented for registration on 18/07/2019 by Nirmala Devi A Stamp Duty of Rs. 92440/- and other Fees of Rs. 20500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executioner and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 9794 in Book No. 1, Volume No. 198 on Page No. 501 and has been preserved in total 15 pages in C.D. No. 31 / Year 2019

Date: 18/07/2019

Token No: 10606 /2019

Signature with Date (Aranya Engicon Pvt. Ltd. Director)

विकास कार्य एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 18/07/19 को (1)श्रीमती निर्मला देवी पति डॉ० मोला कुमार सिंह, साकिन- मलवान देहुरी, पोस्ट- मलवान, थाना- खुदवों, जिला- औरंगाबाद, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Signature of Director

DIRECTOR

श्री निर्मला देवी पति डॉ० मोला कुमार सिंह, साकिन- मलवान देहुरी, पोस्ट- मलवान, थाना- खुदवों, जिला- औरंगाबाद, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने

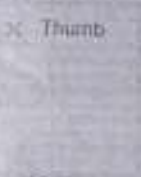
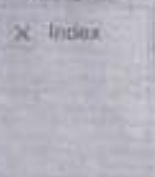
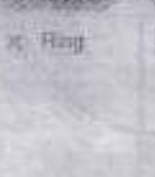
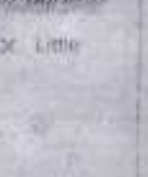
दस्तावेज जांचा 23-7-19 हस्ताक्षर

रोक सूची/ खतरा मंजी/ रोक लिस्ट में मिलान किया 19 हस्ताक्षर

130/25

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 10506 Reg. Year 2019 Serial Number 10044 Deed Number 9794

PreType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Amarjeet Nath (Dir. Aranya Engicon Pvt Ltd)						
Sig.	<u>Amarjeet Nath</u> 28/10/2019						
Claimant	Kishore Kumar (Dir. Aranya Engicon Pvt Ltd)						
Sig.	<u>Kishore Kumar</u> 18-7-19						
Claimant	Mridula Sinha (Dir. Aranya Engicon Pvt Ltd)						
Sig.	<u>Mridula Sinha</u> 18-7-19						
Presented By	Nirmala Devi						
Sig.	<u>श्री. निर्मला देवी</u> वी० विपिन कुमाल 18/07/2019						
Executant	Nirmala Devi						
Sig.	<u>श्री. निर्मला देवी</u> वी० विपिन कुमाल 18/07/2019						
Identified By	Vipin Kumar						
Sig.	<u>विपिन कुमाल</u> 18/07/2019						

गौरी प्रतिवेदन से सम्मत हु
अनिल कुमार
चौ 180 लिपि
प्रो प्रचलित



केना के इरा दिवाभा गपा भूमि पाने
आवासीय भोजपुर एवं जहापुर जग पाठो
किसके चाहे ओरे से K.P दिव दिना हुमरी हो
गौरी - एकदमपु. मोहम्मद मिथिला कोलाबी के
गौरी एमिडि. Kishore School से
युव के नाम पर 2018 के अस्था
रखा हो

श्री. निर्मला देवी
वी० विपिन कुमाल
24-10-19

For ARANYA ENGICON PVT
Amarjeet Nath
Koray
DIRECTOR 24-10-19

7/18/2019

अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितवद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है। MAS-9006390008

एवं

मेसर्स अरण्या इंजीकॉन प्रा० लि० जो भारतीय कम्पनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या- U453098R2016PTC031450 है जिसका प्रधान कार्यालय- महावीर मार्केट, बिरजी भवन, पृथ्वीपुर घिरैयाटाड़ पटना-1, बिहार द्वारा निर्देशक (1) श्री अमरजीत नाथ पिता श्री प्रदीप कुमार, निवासी ग्राम चौ पोस्ट- गुरुआ, जिला- गया, बिहार एवं (2) श्री किशोर कुमार पिता श्री बंगाली लाल मंडल निवासी- शिवचक मलमेहंदीगंज, झाउगंज, पटना- 800008, जिला- पटना, बिहार, (3) श्रीमती मृदुला सिन्हा पिता श्री सधिवदानन्द-सिन्हा, निवासी- अशोक नगर रोड नं०-11 कंकड़बाग, पटना, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना, भारतीय नागरिक- PAN. AA0CA3652K के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक मौजा- सिकन्दरपुर, महल्ला- मिथिला कॉलोनी, परगना- फुलवारी, थाना- दानापुर, जिला- पटना, थाना नं०- 17, तौजी नं०- 5855, खाता नं०- 253 वो 300, सर्वे प्लॉट नं०- 692 वो 695 में एराजी 3062.8125 वर्गफीट यानि 7.03/2डी० भूमि जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो० 45,72,000/- रुपया मात्र है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में हैं। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची-1 में वर्णित सम्पत्ति को जमीन मालिक (1) श्रीमती सुनन्दा देवी ने दिनांक 26-10-2012 ई० को नविस्ते श्रीमती कुशुम देवी पति



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amangesthath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18/7/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18/7/19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18/7/19

18/08/2019

सही. सही.



Asit Prasad
24-10-19



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.
Anusujyotnath
DIRECTOR

श्री रमेश कुमार तिवारी साकिन- 532, नेहरू नगर, पोस्ट वो थाना- पाटलीपुत्रा, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं०- 147, पेज नं०- 26 से 32, सी० डी० 8, वसीका नं०- 2090 निबंधन कार्यालय दानापुर है। इस प्रकार जमीन मालिक बैय खरीदगी के रोज से अपने खरीदगी के अनुसार अपने अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर जमीन मालिक अनुसूची-1 में वर्णित जायदाद पर स्वामी के रूप में शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए चले आ रहे हैं। इस तरह लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सहम हैं।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची-1 की जमीन पर दानापुर नगर परिषद/सम्बंधित प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayectnath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
Midul Gha

श्री. निरंजना
श्री. विपिन झा
18/07/2019

डेवेलपर्स ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि दानापुर नगर परिषद/संबन्धित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत हिस्सा इस विलेख की अनुसूची- III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाऊ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और दायित्वों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवलपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और दायित्वों के साथ जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Anandkumar

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

महो. निदेशक
18/07/2019

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वास्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् दानापुर नगर परिषद को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवलपर उक्त वास्तुकार (Architect) द्वारा निर्मित प्लान दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास- पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवलपर द्वारा दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा 3 वर्ष की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छह महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से गिनी जाएगी।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Anirudh Singh

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

स. वि. वि. वि.
18/7/19

13. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रूप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण-प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकासक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

15. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो दानापुर नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधनों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (access, egress matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें एग्रेस को शामिल है :-



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Anandkumar

DIRECTOR

Aranya Engicon P
GKumar
18-7-19

Director

Aranya Engicon PVT. Ltd.

Aranya Engicon

Director

18/07/2019

- A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।
- B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।
- C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।
- D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमे में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर जमीन सही होने पर अपने खर्च पर करेंगे।
- E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री / lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तों के अनुरूप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रूप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।
- F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं प्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्त कि ऐसी प्राप्ति सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayachanth

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Amayachanth
28/07/2019
18-7-19
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Midula Ghat
18-7-19
Director

सही. निधि. माल.
18/07/2019

लॉ.

James Englecon Pvt. Ltd.
JAMES SKINNER
18-7-19
Director.

Amruteshwar
28/6/2020
Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Mridula Sinha
18-7-19
Director

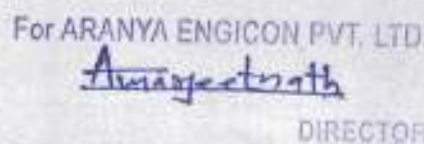


13/12/2019

510-160/81
T. V. V. V.

वर्ग ०

6102-1E0/81



(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

17. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा।

18. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amrjyesthath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

SKAN SKAN

18-7-19 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amrjyesthath

18/8/2019 Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Midula Datta

18-7-19

Director

सदी. निर्माता/एकी

सदी. निर्माण
18/07/2019

19. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन विल्डिंग का नाम "YAMUNA RESIDENCY" होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, दानापुर नगर परिषद/सहम प्राधिकार एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

20. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित्त इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

21. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

22. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीनमालिक को परस निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

23. डेवेलपर दानापुर नगर परिषद/पटना नगर निगम के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करावेंगे।

24. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitary कार्य जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था,



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amarektrath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Midula Samra

18-7-19

Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amarektrath

18/07/2017

Director

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amarektrath

18-7-19

Director

नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे दानापुर नगर परिषद की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

25. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

26. प्रस्तावित इमारत दानापुर नगर परिषद द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लॉट से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

अनुसूची-1

आवासीय परती जमीन जो मौजा-सिकन्दरपुर, महल्ला- मथिला कॉलोनी, परगना- फुलवारी, थाना- दानापुर, जिला- पटना, थाना नं०- 17, तौजी नं०- 5855, खाता नं०- 253 वो 300, सर्वे प्लॉट नं०- 692 वो 695 में एराजी 3062.8125 वर्गफीट यानि 03125 डीसमल है। यह लेख्य सम्पत्ति अवर निबंधन तथा जिला निबंधन कार्यालय- पटना, क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। जमान्दी नं०- 3504/1

चौहद्दी

उत्तर : श्रीमती कमलावति देवी पति श्री शिवधर तिवारी

दक्षिण : छोटक सिंह सर्वे प्लॉट नं०- 691

पूरब : सारण सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

पश्चिम: बीस फीट सहायक सड़क



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayeknath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.

Amayeknath

18-7-19

Director

Modula Sinha

18-7-19

सि. नि. नि. नि.

सि. नि. नि. नि.

18/07/2019

व. नि. नि. नि.

Amayeknath

18/07/2019

Director

अनुसूची- II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण

ढांचा :- पी.आर.डी.ए./दानापुर नगर परिषद द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।
civil कार्य:-पी.आर.डी.ए./पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, छड़ सोन बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :- सभी दीवारें तथा भीतरी छत में का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें बिड़ला पुट्टी होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का चौखट, कपूरपाल तथा दरवाजे का पल्ला उच्च कोटि के प्लाई बोर्ड का होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इनेमेल पेंट होगा। पेंट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा।

खिड़कियाँ :- (अलमुनियम सलाइड रिफ्लेक्टिव ग्लास) के फ्रेम में पूर्णतः glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- विटरीफाइड टाइल्स ब्रान्डेड उच्च क्वालिटी का होगा।

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद हस्रमक टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- हरा संगमरमर का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

विजली व्यवस्था:-मानक विजली सामग्री के साथ concealed पी. वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट।

लिफ्ट :- छह व्यक्तियों का भार वहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। जमीन मालिक गुणवत्ता, मात्रा कम्पनी का निर्णय करेंगे।



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayajath

DIRECTOR

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Director
18-7-19

Amayajath
Director
18-7-19

18/07/2019

पूर्वोक्त पिदपौपदह केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

अनुसूची III

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएं :-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौबीसो घंटे अपने द्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. अतिरिक्त खर्च पर सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत जेनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें तौबे का तार होगा।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सौच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:-

1. विपिन कुमार
पिन - डा भोला कुमार सिंह
फ्लैट नं 303
अरुण कुमार, सिविली
शांति नगर, पटना 18/03/2019

2. Aranya Engicon Pvt. Ltd.
Midula Singh
10-7-19
Director 18-7-19
Amayachath
18/07/2019
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

सही. निर्मला देवी
व. विपिन कुमार
18/03/2019

यह विलेख लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के निदेश एवं सहमति पर लिपिबद्ध किया गया है

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayachath

DIRECTOR

Drafted by

Amayachath
18/07/2019



check - List सीमात प्रिया तद्वि
पाया

निर्मला देवी
व. विपिन कुमार
18/03/2019

116



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.

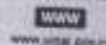
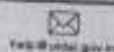


आधार प्रमाणिकरण प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आलोक शोभा कुमार सिंह,
फ्लैट नं. 303, अर्जुन टावर, मन्दाप
आपार्टमेंट के पास, शिवपुरी, बोरिंग
रोड, फुलवारी, पटना, एल.डी.एस
नगर, बिहार, 800023

Address: S/O. Bhola Kumar Singh, Flat
No-303, Arjun Tower, Near Manda
Apartment, Shivpuri, Boring Road,
Phulwari, Patna, L.D.S Nagar, Bihar,
800023

2458 9066 6587



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No 2017/95070/48783

To,
विपिन कुमार
Vipin Kumar
S/O: Bhola Kumar Singh
Flat No- 303, Arjun Tower
Near Manda Apartment Shivpuri, Boring Road
Phulwari
L.D.S Nagar Phulwari Patna
Bihar 800023
9582677379

Ref: 200 / 122 / 215259 / 215329 / P



SE392516272FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

2458 9066 6587

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
Government of India



विपिन कुमार
Vipin Kumar
जन्म तिथि / DOB : 04/10/1980
पुरुष / Male



2458 9066 6587

आधार - आम आदमी का अधिकार



For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

Amayesh Nath

DIRECTOR

पहचान

विपिन कुमार

18/03/2019

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 92440/-	Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Add. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt. paid through Bank Challan	Rs. 111940/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee	Service Charge		
FEE PAID	A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0	LLR	0	500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0	Proc.Fee	0	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mo	0	Total	0	
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0			
	B	0	H1a	0	J2	0	L	0		0			
	TOTAL-									20000			
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										20500	CA		

Date: 18/07/2019

[Signature]
Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Thursday, 18th July 2019 by Nirmala Devi W/O Bhole Kumar Singh by profession Others. Status - Executant

श्री निर्मला देवी
वा. विपिन कुमार
18/07/2019

Signature/L.T.I. of Presentant



[Signature]
Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and identified by the person (Identified by 'Vipin Kumar' age '39' Sex 'M', 'S/O Bhole Kumar Singh', resident of '303, Aranya Enclave, Boring Road, Patna'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on page / pages of the instrument.

Date: 18/07/2019

[Signature]
Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 198 on pages on 487-501, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-31 year 2019. The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date: 18/07/2019

[Signature]
Registering Officer
Danapur

Token No.: 10606 Year: 2019 S.No.: 10044 SCORE Ver.4.1 Deed No.: d No.: 9794

For ARANYA ENGICON PVT. LTD.

[Signature]

DIRECTOR

7/18/2019